

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1294/2010/जयपुर.

मैसर्स आशा ऑयल ट्रेडर्स,
ए-11, न्यू ग्रेन मण्डी, चांदपोल बाजार, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत-जी, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एस. एन. असावा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/06/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 3/वैट/जी/08-09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.3.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत-जी, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61(2)(ए) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.10.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।


2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 की प्रथम तिमाही (दिनांक 01.04.2006 से 30.06.2006) के दौरान मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, 6/42, विद्याधर नगर, जयपुर से रूपये 25,29,807.19 का माल क्रय किया जाना घोषित किया गया तथा उक्त खरीद पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रूपये 1,01,192.30 चुकाया जाना दर्शाया गया, जबकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उक्त विक्रेता फर्म मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिये जाने के कारण उक्त फर्म से की गई खरीद के पेटे चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. रूपये 1,01,192.30 रिवर्स करते हुए धारा 61(2)(ए) के तहत शास्ति रूपये 4,04,768/- एवं ब्याज रूपये 13,674/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.03.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारी का पंजीयन निरस्त किये जाने की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। व्यवहारी के विक्रेता द्वारा कर राजकोष में जमा नहीं कराने का उत्तरदायित्व अपीलार्थी पर नहीं डाला जा सकता। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा क्रीत माल के संव्यवहार सद्भावी होने की स्थिति में रिवर्स टैक्स, ब्याज तथा धारा 16(2)(ए) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में इसी अपीलार्थी व्यवहारी के इसी वर्ष (वर्ष 2006-07) की द्वितीय तिमाही के लिये पारित अपीलीय व कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 1711/2010/ जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 30.6.2014 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा व्यवहारी को आई.टी.सी. का लाभ प्रदान करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों को अपास्त किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण के वक्त कर निर्धारण अधिकारी ने पाया था कि अपीलार्थी के विक्रेता व्यवहारी मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.04.2006 से निरस्त किया जा चुका था तथा विक्रेता द्वारा कर राजकोष में जमा नहीं कराया गया था, इसलिए नियमानुसार आई.टी.सी. अस्वीकार करते हुए शास्ति भी आरोपित की गई थी, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18(2) अनुसार आई.टी.सी. का समायोजन तभी स्वीकार किया जा सकता है, जबकि विक्रेता राजकोष में कर जमा करा दे। प्रस्तुत प्रकरण में विक्रेता द्वारा कर जमा नहीं कराया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति आरोपण किये जाने में कोई भूल नहीं की गई है, इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में भी कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया।



लगातार.....3

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विक्रेता व्यवहारी मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी से की गई खरीद पर चुकाये गये वैट के आई.टी.सी. का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 01.04.2006 से ही निरस्त किया जाना निर्विवादित है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने संव्यवहार सद्भावी प्रमाणित नहीं होने के कारण तथा विक्रेता व्यवहारी द्वारा वैट जमा नहीं कराने के कारण आई.टी.सी. अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किया तथा धारा 61(2)(ए) के तहत शास्ति आरोपित की गई है, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि की गयी है।

7. वैट अधिनियम की धारा 18(2) अनुसार आगत कर का समायोजन किये जाने हेतु विक्रेता द्वारा आगत कर जमा कराया जाना आवश्यक है तथा उपधारा (3) अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संव्यवहार सद्भावी प्रमाणित कराने का दायित्व व्यवहारी पर डाला गया है। अधिनियम की धारा 18(2) व (3) उद्धरित करना समीचीन होगा :-

18. Input Tax Credit. -

(1)

(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-

(i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.


8. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18 अनुसार विवादित विक्रेता द्वारा वेट जमा कराने का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि आई.टी.सी. स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक है। उक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी से की गई खरीद के पेटे चाहे गये आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए, रिवर्स टैक्स व ब्याज का आरोपण उचित प्रकार से किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

9. जहां तक वेट अधिनियम की धारा 61(1)(ए) के तहत आरोपित की गयी शास्ति का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहारों का इंड्राज अपनी लेखा-पुस्तकों एवं विवरण पत्रों में किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार शास्ति का आरोपण उचित नहीं माना जा सकता। अतः आरोपित रिवर्स टैक्स रुपये 1,01,192.30 एवं ब्याज रुपये 13,674/- की पुष्टि करते हुए, धारा 61(1)(ए) के तहत आरोपित शास्ति रुपये 4,04,768/- को अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

10. जहां तक माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में पारित किये गये निर्णय दिनांक 30.06.2014 का प्रश्न है, यह पीठ उक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्णय से सहमत नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी उक्त निर्णय के आधार पर किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

11. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है एवं धारा 61(1)(ए) के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।


(खेमराज)
अध्यक्ष